



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2620]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 2015/अग्रहायण 17, 1937

No. 2620]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 2015/AGRAHAYANA 17, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3305(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में,—

(क) क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	उद्योग	मापदंड	मानक
1	2	3	4.
5क	ताप विद्युत संयंत्र (जल उपभोग सीमा)	जल उपभोग	I. एक बार शीतलन (ओटीसी) के माध्यम से सभी संयंत्र शीतलन टावरों (सीटी) को प्रतिष्ठापित करेंगे और अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर अधिकतम 3.5m <sup>3</sup> /MWh के विनिर्दिष्ट जल उपभोग को हासिल करेंगे।

			<p>II. सभी विद्यमान सीटी-आधारित संयंत्र 3.5m<sup>3</sup>/MWh इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर अधिकतम 3.5m<sup>3</sup>/MWh तक के विनिर्दिष्ट जल उपभोग को कम करेंगे।</p> <p>III. जनवरी, 2017 के पश्चात् प्रतिष्ठापित किए जाने वाले नए संयंत्र अधिकतम 2.5 m<sup>3</sup>/MWh तक के विनिर्दिष्ट जल उपभोग को पूरा करेंगे और शून्य जल दुर्व्यय को हासिल करेंगे।</p>
--	--	--	--

(ख) क्रम सं. 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	उद्योग	मापदंड	मानक
1	2	3	4
		विवक्त पदार्थ	100 mg/Nm <sup>3</sup>
		सल्फर डायोक्साइड (SO <sub>2</sub> )	600 mg/Nm <sup>3</sup> (500 मेगावाट से कम क्षमता की इकाईयों से लघु इकाईयां) 200 mg/Nm <sup>3</sup> (500 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता की इकाईयां)
		नाइट्रोजन के आक्साइड (NO <sub>x</sub> )	300 mg/Nm <sup>3</sup>
		पारा (Hg)	0.03 mg/Nm <sup>3</sup> (500 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता की इकाईयां)
		1 जनवरी, 2003 के पश्चात् 31 दिसंबर, 2016 तक प्रतिष्ठापित टीपीपी (इकाईयां)	
		विवक्त पदार्थ	50 mg/Nm <sup>3</sup>
		सल्फर डायोक्साइड (SO <sub>2</sub> )	600 mg/Nm <sup>3</sup> (500 मेगावाट से कम क्षमता की इकाईयों से लघु इकाईयां) 200 mg/Nm <sup>3</sup> (500 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता की इकाईयां)
		नाइट्रोजन के आक्साइड (NO <sub>x</sub> )	300 mg/Nm <sup>3</sup>
		पारा (Hg)	0.03 mg/Nm <sup>3</sup>
		1 जनवरी, 2017 से प्रतिष्ठापित टीपीपी (इकाईयां)	
		विवक्त पदार्थ	30 mg/Nm <sup>3</sup>
		सल्फर डायोक्साइड (SO <sub>2</sub> )	100 mg/Nm <sup>3</sup>
		नाइट्रोजन के आक्साइड	100 mg/Nm <sup>3</sup>

	(NOx)	
	पारा ( Hg)	0.03 mg/Nm <sup>3</sup>

- \* टीपीपी (इकाईयां) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर परिसीमाओं को पूरा करेंगी।  
 \*\* इसके अंतर्गत सभी टीपीपी (इकाईयां) हैं, जिन्हें पर्यावरणीय निकासी प्रदान की गई है और संनिर्माण के अधीन है।

[फा. सं. क्यू-15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू]

डा. राशिद हसन, सलाहकार

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 844(अ) 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चातवर्ती का.आ. 433(अ) तारीख 18 अप्रैल, 1987 ; सा.का.नि. 176(अ) तारीख 2 अप्रैल, 1996; सा.का.नि. 97 (अ), तारीख 18 फरवरी, 2009 ; सा.का.नि. 149(अ) तारीख 4 मार्च, 2009 ; सा.का.नि. 543(अ) तारीख 22 जुलाई, 2009 ; सा.का.नि. 739(अ) तारीख 9 सितम्बर, 2010 ; सा.का.नि. 809(अ) तारीख 4 अक्टूबर, 2010, सा.का.नि. 215(अ) तारीख 15 मार्च, 2011 ; सा.का.नि. 221(अ) तारीख 18 मार्च, 2011 ; सा.का.नि. 354(अ) तारीख 2 मई, 2011 ; सा.का.नि. 424(अ) तारीख 1 जून, 2011 ; सा.का.नि. 446(अ) तारीख 13 जून, 2011 ; सा.का.नि. 152(अ) तारीख 16 मार्च, 2012 ; सा.का.नि. 266(अ) तारीख 30 मार्च, 2012 ; सा.का.नि. 277(अ) तारीख 31 मार्च, 2012; सा.का.नि. 820(अ) तारीख 9 नवम्बर, 2012 ; सा.का.नि. 176(अ) तारीख 18 मार्च, 2013 ; सा.का.नि. 535(अ) तारीख 7 अगस्त, 2013 ; सा.का.नि. 771(अ) तारीख 11 दिसम्बर, 2013 ; सा.का.नि. 2(अ) तारीख 2 जनवरी, 2014 ; सा.का.नि. 229(अ) तारीख 28 मार्च, 2014 ; सा.का.नि. 232(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 ; सा.का.नि. 325(अ) तारीख 7 मई, 2014, सा.का.नि. 612(अ) तारीख 25 अगस्त, 2014 और अन्तिम संशोधन सा.का.नि. 789(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2014 किया गया था।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2015

S.O. 3305(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2015.  
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule – I, -  
 (a) after serial number 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

Sr. No.	Industry	Parameter	Standards
1	2	3	4
5A.	Thermal Power Plant (Water consumption limit)	Water consumption	I. All plants with Once Through Cooling (OTC) shall install Cooling Tower (CT) and achieve specific water consumption upto maximum of 3.5m <sup>3</sup> /MWh within a period

			<p>of two years from the date of publication of this notification.</p> <p>II. All existing CT-based plants reduce specific water consumption upto maximum of 3.5m<sup>3</sup>/MWh within a period of two years from the date of publication of this notification.</p> <p>III. New plants to be installed after 1<sup>st</sup> January, 2017 shall have to meet specific water consumption upto maximum of 2.5 m<sup>3</sup>/MWh and achieve zero waste water discharged”;</p>
--	--	--	---

(b) for serial number 25, and the entries related thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

Sr. No.	Industry	Parameter	Standards
1	2	3	4
"25.	Thermal Power Plant	TPPs ( units) installed before 31 <sup>st</sup> December, 2003*	
		Particulate Matter	100 mg/Nm <sup>3</sup>
		Sulphur Dioxide ( SO <sub>2</sub> )	600 mg/Nm <sup>3</sup> (Units Smaller than 500MW capacity units) 200 mg/Nm <sup>3</sup> (for units having capacity of 500MW and above)
		Oxides of Nitrogen ( NO <sub>x</sub> )	600 mg/Nm <sup>3</sup>
		Mercury ( Hg )	0.03 mg/Nm <sup>3</sup> (for units having capacity of 500MW and above)
		TPPs ( units) installed after 1 <sup>st</sup> January, 2003, upto 31 <sup>st</sup> December, 2016*	
		Particulate Matter	50 mg/Nm <sup>3</sup>
		Sulphur Dioxide ( SO <sub>2</sub> )	600 mg/Nm <sup>3</sup> (Units Smaller than 500MW capacity units) 200 mg/Nm <sup>3</sup> (for units having capacity of 500MW and above)
		Oxides of Nitrogen ( NO <sub>x</sub> )	300 mg/Nm <sup>3</sup>
		Mercury ( Hg )	0.03 mg/Nm <sup>3</sup>
		TPPs ( units) to be installed from 1 <sup>st</sup> January, 2017**	
		Particulate Matter	30 mg/Nm <sup>3</sup>
		Sulphur Dioxide ( SO <sub>2</sub> )	100 mg/Nm <sup>3</sup>
		Oxides of Nitrogen ( NO <sub>x</sub> )	100 mg/Nm <sup>3</sup>
		Mercury ( Hg )	0.03 mg/Nm <sup>3</sup>

\*TPPs (units) shall meet the limits within two years from date of publication of this notification.

\*\*Includes all the TPPs (units) which have been accorded environmental clearance and are under construction”.

[F. No. Q-15017/40/2007-CPW]

Dr. RASHID HASAN, Advisor

**Note:** - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19<sup>th</sup> November, 1986 and subsequently amended *vide* the following notifications:—  
S.O. 433(E), dated 18<sup>th</sup> April 1987; G.S.R. 176(E) dated 2<sup>nd</sup> April, 1996; G.S.R. 97(E), dated the 18<sup>th</sup> February, 2009; G.S.R. 149(E), dated the 4<sup>th</sup> March, 2009; G.S.R. 543(E), dated 22<sup>nd</sup> July, 2009; G.S.R. 739(E), dated the 9<sup>th</sup> September, 2010; G.S.R. 809(E), dated, the 4<sup>th</sup> October, 2010; G.S.R. 215(E), dated the 15<sup>th</sup> March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2011; G.S.R. 354(E), dated the 2<sup>nd</sup> May, 2011; G.S.R. 424(E), dated the 1<sup>st</sup> June, 2011; G.S.R. 446(E), dated the 13<sup>th</sup> June, 2011; G.S.R. 152(E), dated the 16<sup>th</sup> March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30<sup>th</sup> March, 2012; and G.S.R. 277(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2012; and G.S.R. 820(E), dated the 9<sup>th</sup> November, 2012; G.S.R. 176(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2013; G.S.R. 535(E), dated the 7<sup>th</sup> August, 2013; G.S.R. 771(E), dated the 11<sup>th</sup> December, 2013; G.S.R. 2(E), dated the 2<sup>nd</sup> January, 2014; G.S.R. 229(E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2014; G.S.R. 232(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2014; G.S.R. 325(E), dated the 07<sup>th</sup> May, 2014, G.S.R. 612(E), dated the 25<sup>th</sup> August, 2014 and lastly amended *vide* notification G.S.R. 789(E), dated 11<sup>th</sup> November, 2014.

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 590]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 7, 2016/फाल्गुन 17, 1937

No. 590]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 7, 2016/ PHALGUNA 17, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2016

**का.आ. 682(अ).**—भारत के राजपत्र में प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 3305(अ) तारीख 7 दिसंबर, 2015 द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2015 के अंतर्गत आने वाली नीचे उल्लिखित प्रविष्टियों को निम्न पढ़ें:

1. पृष्ठ सं. 2, क्रम सं. 25, पंक्ति सं. 2 के नीचे सारणी में स्तम्भ 3 और 4 में "31 दिसंबर, 2003 से पहले संस्थापित टीपीपी (इकाईयां)"
2. पृष्ठ सं. 2, क्रम सं. 25, पंक्ति सं. 6 की सारणी के स्तम्भ 4 में "300 mg/Nm<sup>3</sup>" के स्थान पर "600 mg/Nm<sup>3</sup>" पढ़ें
3. पृष्ठ सं. 2, क्रम सं. 25, पंक्ति सं. 8 की सारणी के स्तम्भ 3 और 4 में "1 जनवरी, 2003" के स्थान पर "1 जनवरी, 2004" पढ़ें

[फा.सं. क्यू.15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू]

डा. राशिद हसन, सलाहकार

---

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 7th March, 2016

**S.O. 682(E).**—In the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide number S.O. 3305(E), dated the 7<sup>th</sup> December, 2015, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), in page 4, in the Table, against serial number 25, for “1<sup>st</sup> January, 2003” substitute “1<sup>st</sup> January, 2004”.

[F.No. Q-15017/40/2007-CPW]

Dr. RASHID HASAN, Advisor



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2018/आषाढ़ 8, 1940

No. 435]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2018/ASHADHA 8, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

**सा.का.नि. 593 (अ).**— भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3337 (अ) के द्वारा एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, से उस तारीख से जिसकी उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जन-साधारण को उपलब्ध कराई गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे।

और, राजपत्र की प्रतियां दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 को जन-साधारण को उपलब्ध कराई गई थीं।

और, केंद्र सरकार द्वारा इस प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में सभी व्यक्तियों और पक्षों से प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर विधिवत् रूप से विचार किया गया है।

अतः अब, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) के उप नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में,—

(क) स्तंभ 4 में क्रम संख्या 5क के सामने, मद 3 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

“III. विनिर्दिष्ट जल उपभोग, तारीख 1 जनवरी, 2017 के पश्चात् संस्थापित किए गए नए संयंत्र के लिए 3.0 मी<sup>3</sup>/एमडब्ल्यूएच से अधिकतम नहीं होगा और ये संयंत्र शून्य अपशिष्ट जल बहाव को हासिल करेंगे।”



(ख) क्रम संख्या 5 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्रम सं	उद्योग	पैरामीटर	मानक
1	2	3	4
"5ख	तापीय विद्युत संयंत्र (जल उपभोग सीमा समुद्री जल का प्रयोग)	जल उपभोग	उपरोक्त क्रम सं 5क में स्तंभ 4 में मद I से III समुद्री जल का प्रयोग करने वाले तापीय विद्युत संयंत्र पर लागू नहीं होगा";

(ग) क्रम सं 25 में, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"टिप्पण : सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रोजन और धूल-कण के लिए सभी मानीटर किए गए मान को शुष्क आधार पर 6% आक्सीजन के लिए संशोधित किया जाएगा।";

(घ) क्रम सं 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

क्रम सं	उद्योग	पैरामीटर	मानक
1	2	3	4
"33क	आर्द्र-फ्लू गैस डीसल्फयुराईजेशन (एफजीडी) के साथ तापीय विद्युत संयंत्र	चिमनी की ऊंचाई/मीटर में सीमा	विद्युत उत्पादन क्षमता: 100 मेगावाट और अधिक एच= 6.902 (क्यू x 0.277) <sup>0.555</sup> अथवा 100 मीटर न्यूनतम 100 मेगावाट से कम एच= 6.902 (क्यू x 0.277) <sup>0.555</sup> अथवा 30 मीटर जो भी अधिक हो"; क्यू=सल्फर डाइआक्साइड की कि.ग्रा./उत्सर्जन दर एच= मीटर में भैतिक स्टाक ऊंचाई।" चिमनी से जुड़ी सभी यूनितों का योग टिप्पणी : ये मानक कोयला/लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों पर लागू होंगे।

[फा. सं. क्यू-15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू]

डॉ. ए. सेंथिल वेल, वैज्ञानिक 'जी'

**टिप्पण :** मूल नियम के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) का.आ. 844 (अ) तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार अधिसूचना सा.का.नि. 568 (अ) दिनांक 18 जून, 2018 के द्वारा संशोधित किया गया।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th June, 2018

**G.S.R. 593 (E).**—Whereas, a draft notification, for Thermal Power Plants was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number G.S.R. 3337(E), dated the 16<sup>th</sup> October, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the dated on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, copies of the Gazette were made available to the public on the 16<sup>th</sup> October, 2017;

And Whereas, all objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I,-  
(a) against serial number 5A, in column 4, for item III, the following item shall be substituted, namely:-  
“III. Specific water consumption shall not exceed maximum of 3.0 m<sup>3</sup>/MWh for new plants installed after the 1<sup>st</sup> January, 2017 and these plants shall also achieve zero waste water discharge.”;  
(b) after serial number 5A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

Sl. No.	Industry	Parameter	Standards
1	2	3	4
“5B.	Thermal Power Plant (water consumption limit) using sea water	Water consumption	Items I to III in column 4 in serial number 5A above shall not be applicable to the Thermal Power Plants using sea water”;

- (c) in serial number 25, the following Note shall be inserted, namely:—

“**Note:** All monitored values for SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> and Particulate Matter shall be corrected to 6% Oxygen, on dry basis”;

- (d) after serial number 33 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

Sl. No.	Industry	Parameter	Standards
1	2	3	4

“33A.	Thermal Power Plants with wet Flue Gas Desulphurization (FGD)	Stack Height/Limit in Meters	Power generation capacity: 100 MW and above $H=6.902(QX0.277)^{0.555}$ or 100 m minimum Less than 100 MW $H=6.902(QX0.277)^{0.555}$ or 30 m whichever is more”; Q = Emission rate of SO <sub>2</sub> in kg/hr* H = Physical stack height in meter *total of the all Unit’s connected to stack  <b>Note:</b> These standards shall apply to coal / lignite based Thermal Power Plants.”.
-------	---	------------------------------	--

[F. No. Q-15017/40/2007-CPW]  
 DR. A. SENTHIL VEL, Scientist ‘G’

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19<sup>th</sup> November, 1986 and last amended *vide* notification number G.S.R. 263(E), dated the 22<sup>nd</sup> March, 2018.

RAKESH  
 SUKUL

Digitally signed by RAKESH  
 SUKUL  
 Date: 2018.07.03 20:39:18  
 +05'30'